1

E Content for the Student of Patliputra University

Subject - Political Science

Class - B.A. (Hons.) Part - II Paper III

Topic - Supreme Court of India

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Professor - Pol. Sc.
R.R.S. College, Mokama

भारतीय संविधान में सरकार के तीनों अंग न्यायपालिका का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के बावजूद संघीय आधार पर अमेरिका की तरह न्यायपालिका का गठन नहीं किया गया है। भारत न्यायिक व्यवस्था की विशेषता है कि यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था (Integrated Judiciary) का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि नीचे से लेकर शीर्ष तक न्यायपालिका की संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। भारतीय राज्यों के उच्च न्यायालय न केवल राज्य की न्यायपालिका के अंग हैं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के उपभाग भी हैं।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्षस्थ न्यायालय है। सारे विवादों का अन्तिम रूप में सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में कुछ योग्यताओं के साथ राष्ट्रपति की नजर में विख्यात विधिवेत्ता की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के रूप में की जाने का प्रावधान है।

किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय के अनुसार प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के Collegium द्वारा भेजे गये नाम से ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये जा सकते हैं। सरकार नियुक्ति के पैनल को लौटा सकती है, वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को दुबारा पैनल भेजना पड़ता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच विवाद का कारण बना रहता है तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी होती है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की यही परम्परा लागू है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त अन्य बेंच का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है हालांकि ऐसी मांगें की जाती रही हैं।

क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) —

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं कार्य को न्यायिक भाषा में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) कहा जाता है। इसका वर्णन निम्न रूप में कर सकते हैं—

(1) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार — प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वे मामले आते हैं जिसका प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। इस संदर्भ में दो तरह के मामले हैं—

प्रथम, अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार — ऐसे मामले केन्द्र तथा राज्य, राज्य तथा राज्य, राज्य तथा राज्यों के बीच से संबंधित होते हैं। यह अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है (Exclusive Jurisdiction) अर्थात ऐसे मुकदमें केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ किये जा सकते हैं। उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में नहीं।

द्वितीय, सामान्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार — इसका संबंध मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों से होता है। ऐसे मामले जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हैं सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ किये जा सकते हैं। किन्तु यह अनन्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे मुकदमें

राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी याचिका किये जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को लेख (रिट) जारी करने का अधिकार है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार — भारतीय सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय माना जाता है। पहले फौजदारी, दीवानी क्षेत्र में अपीलीय अधिकार व्यापक रूप में लागू था किन्तु अब इन दोनों क्षेत्रों में उन्हीं मुकदमों के अपील का प्रावधान है जिसमें कानून की व्याख्या का प्रश्न अन्तर्निहित हो। उच्च न्यायालय के कतिपय अन्य न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील किये जा सकते हैं।

3. संवैधानिक — संविधान की व्याख्या के संबंध में कोई भी मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके लिए 5, 7, 9, 11 न्यायाधीशों की बेंचों द्वारा आवश्यकतानुसार सुनवाई का प्रावधान किया जाता है।

4. राष्ट्रपति द्वारा माँगा गया परामर्श — राष्ट्रपति केन्द्र सरकार की ओर से किसी विवाद पर परामर्श माँग सकते हैं। माँगे गये परामर्श पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देता है किन्तु सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है।

5. संविधान का संरक्षक — सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन के संदर्भ में संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का परिवर्तित करने से मना किया है। इसी प्रकार आरक्षण के संदर्भ में 50% की सीमा तथा क्रीमी लेयर का प्रतिबन्ध लगाया है।

6. मौलिक अधिकारों का संरक्षक – सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है। संविधान ने अनु० 32 द्वारा उसे इस संदर्भ में लेख जारी करने का अधिकार है।

7. अभिलेख न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय कानून के स्रोत के रूप में संरक्षित रखे जाते हैं तथा आगे के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनर्समीक्षा का अधिकार है तथा वह अपना निर्णय स्वयं बदल सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही व्यापक है वस्तुतः आधुनिक व्यवस्थाओं में वैश्विक स्तर पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।